विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक L00-13/2024

मोहम्मद सलीम ,पिता मोहम्मद युसूफ प्रबंध,
खसरा क्रमांक 138/18 हमीदपुरा,
मार्फत बी0एच0 अंसारी/अनीस अहमद अधिवक्ता,
निवासी 30/283/3 मोमिनपुरा, बुरहानपुर (म.प्र.) – आवेदक
पिन कोड –– 450331 (म.प्र.).

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री(शहर संभाग),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
शनवार रोड, बुरहानपुर (म0प्र0), – अनावेदक
पिन कोड –– 450331 (म.प्र.)

आदेश
(दिनाँक 12.11.2024)

आवेदक की ओर से आवेदक के अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री के0के0 जायसवाल, सहायक यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित।

01. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक W0565124 में पारित आदेश दिनाँक 18.04.2024 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अंतर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावदेन में आवेदक के विद्युत संयोजन पर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर मांग की जा रही विवादित राशि विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने एवं भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है।

02. आवेदनकर्ता ने **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना), विनियम 2021 की कण्डिका 3.37"** के प्रावधानानुसार विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्रस्तुत करने का कारण यह

बताया कि इन्दौर फोरम द्वारा दिनाँक 18.04.2024 को पारित आदेश आवेदक को दिनाँक 24.06.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदक को फोरम द्वारा भेजे गए डाक लिफाफा की प्रति अभ्यावेदन के साथ संलग्न की गई। आवेदक द्वारा विलंब से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के कारणों से संबंधित दस्तावेज अस्पष्ट थे एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 की कंडिका क्र. 3.38 के अनुसार 50% विवादित राशि के भुगतान संबंधी विवरण भी अपूर्ण एवं अस्पष्ट था। अतः आवेदक को समुचित विवरण एवं स्पष्ट दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन को विलंब से प्रस्तुत किए जाने के कारणों के परीक्षण हेतु इस प्रकरण में दिनाँक 09.09.2024 को सुनवाई नियत की गई।

(i) **दिनाँक 09.09.2024 की सुनवाई के दौरान** आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी द्वारा बताया गया कि इन्दौर फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक W0565124 में दिनांक 18.04.2024 को पारित आदेश उपभोक्ता के सही पते पर नहीं पहुंचने के कारण डाक विभाग द्वारा लिफाफा इन्दौर फोरम को लौटा दिया गया। उक्त आदेश को इन्दौर फोरम से दिनाँक 24.06.2024 को आवेदक प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया गया। उक्त कथन के साक्ष्य में उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा लिफाफों की मूल प्रति प्रस्तुत की गई, जिसका मिलान अभ्यावेदन के साथ भेजी गई प्रतिलिपि के साथ सही पाया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि इन्दौर फोरम का आदेश वेबसाईट पर भी समय से नहीं डाला गया था ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारणों एवं इन्दौर फोरम से प्राप्त जानकारी के आधार पर अभ्यावेदन को विलंब से स्वीकार किया गया। सुनवाई के दौरान आवेदक अधिवक्ता को यह सुझाव दिया गया कि वे अपनी E-Mail ID फोरम एवं विद्युत लोकपाल कार्यालय को सूचित करें ताकि त्वरित पत्राचार सुनिश्चित हो सके।

अतः मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 की कंडिका क्र. 3.37 के परिपालन में आदेश प्राप्ति की तिथि **24.06.2024** मानते हुए अभ्यावेदन को **दिनाँक 09.09.2024** को विलंब से स्वीकार कर दर्ज किया गया। अभ्यावेदन ग्राह्य कर उभय पक्षों को दिनांक 23.09.2024 को प्रारंभिक सुनवाई के लिये सूचना पत्र जारी किया गया।

03. **प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैः–**

आवेदक के नाम से स्वीकृत भार 9 (नौ) एच.पी. का पावरलूम विद्युत कनेक्शन क्र. N3957020133 अनावेदक द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका मासिक विद्युत देयक आवेदक द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहा है एवं कोई राशि बकाया नहीं है।

अनावेदक द्वारा पत्र क्र. 890 दिनाँक 21.11.2023 द्वारा** आवेदक से **less billing due to stopped/defective meters and average billing there of का कारण दर्शाकर विवादित राशि रू. 29,959/– की मांग उक्त पत्र की प्राप्ति से 7 दिन के भीतर की गई। उक्त पत्र आवेदक को दिनाँक 07.12.2023 को प्राप्त हुआ था।

आवेदक ने दिनाँक 16.12.2023 को अनावेदक के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए उक्त राशि को निरस्त किये जाने एवं उक्त राशि आवेदक के आगामी बिलों में ना जोड़े जाने का निवेदन किया।

अनावेदक द्वारा आवेदक की उक्त आपत्ति का कोई निराकरण नहीं किया एवं विवादित राशि रू 29,959/– आवेदक के नियमित बिल माह दिसम्बर, 2023 के सी.सी.बी. एडजेस्टमेंट के कॉलम में जोड़ कर भेजी गई ।

आवेदक ने दिनाँक 28.12.2023 को पुनः अनावेदक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त राशि आवेदक के नियमित बिल से हटाये जाने का निवेदन किया ।

अनावेदक द्वारा उक्त पत्राचार किये जाने के उपरांत भी उक्त राशि आवेदक के नियमित बिल से हटायी नहीं जाने पर आवेदक के द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष माह जनवरी, 2024 में शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए विवादित राशि को निरस्त कराये जाने का निवेदन किया गया।

इन्दौर फोरम द्वारा दिनाँक 18.04.2024 को आदेश पारित करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायती आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की प्रति आवेदक अधिवक्ता को दिनाँक 24.06.2024 को इन्दौर फोरम के कार्यालय से बदं डाक लिफाफे के रूप में प्राप्त हुई। अतः आवेदक द्वारा उक्त आदेश से क्षुब्ध एवं दुखी होकर विद्युत लोकपाल के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

04. प्रस्तुत अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा निम्न प्रार्थना की गई :–

उक्त अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र) द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 18.04.2024 को निरस्त कर अपीलार्थी द्वारा भुगतान की गई राशि मय ब्याज के वापस दिलाये जाने एवं अपील का खर्च रू 5,000/– भी प्रतिअपीलार्थी से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

05. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक W0565124 में दिनाँक 18.04.2024 को निम्नानुसार आदेश दिया गया :–

फोरम का निर्णयः–

"फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारी एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता हैः–

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार, परिवादी के औद्योगिक संयोजन क्रमांक 77–06–एन 3957020133 पर स्थापित पुराना मीटर क्रमांक MPP02403 मेक सिक्योर दोषपूर्ण पाए जाने के कारण उक्त संयोजन पर माह अक्टूबर–21 से माह मार्च–22 तक मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका 8.44 के अनुसार नए मीटर की तीन माह की खपत, माह मई–22 की खपत 2638 युनिट, माह जून–22 की खपत 2765 युनिट एवं माह जुलाई–22 की खपत 1268 युनिट, की औसत खपत $\frac{(2638+2765+1268)}{3}$ *2224 युनिट के अनुसार संशोधित देयक जारी किए जावे।"*

06. सुनवाई का संक्षिप्त विवरण :–

❖ **दिनाँक 23.09..2024** को आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से श्री के0के0 जायसवाल, सहायक यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से उपस्थित सहायक यंत्री ने अपने पक्ष में अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया। अनावेदक प्रतिनिधि श्री के0के0 जायसवाल द्वारा प्रकरण से संबंधित प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड में लेते हुए उसकी एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को भी प्रदान की गई।

सुनवाई के दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने प्रकरण से संबंधित मौखिक जानकारी दी गई। अनावेदक श्री के0के0 जायसवाल द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक उपभोक्ता द्वारा फोरम द्वारा निर्धारित विवादित राशि का 50 प्रतिशत जमा करा दिया गया है।

अनावेदक प्रतिनिधि को प्रकरण से संबंधित निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज दिनाँक 08 अक्टूबर, 2024 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया :–

01. जनवरी, 2021 से अगस्त 2024 तक मीटर में दर्ज खपत का विवरण आंकलित खपत के आधार के साथ।

02. आवेदक उपभोक्ता के समकक्ष पावर लूम, 9 एच.पी. स्वीकृत भार के कम से कम दो अन्य उपभोक्ताओं का भी जनवरी, 2021 से अगस्त, 2024 तक का विद्युत खपत का विवरण।

03. उपलब्ध रिकार्ड अनुसार मीटर किस माह से खराब पाया गया ?

04. ऑडिट द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित पैरा रिपोर्ट की प्रति ।

05. विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अनुसार मीटर क्यों नहीं बदला गया, स्पष्ट करें ?

उपरोक्त जानकारी की एक प्रति आवेदक को भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। आवेदक को उक्त जानकारी पर अपना प्रतिउत्तर दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 तक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई **दिनाँक 24.10.2024** को नियत की गई।

❖ **दिनाँक 24.10.2024** को आवेदक एवं अनावेदक की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुए। आवेदक अधिवक्ता ने अपने पत्र दिनांक 23.10.2024 (मेल द्वारा) निम्नलिखित कथन किया गयाः–

i *उनके पिता का ऑपरेशन होने से वह दवा एवं उपचार हेतु हास्पिटल में व्यस्त हैं, जिस कारण से वह इस प्रकरण में उपस्थित होने में असमर्थ है।*

ii *इस प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित तर्क एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है, केवल व्यक्तिगत सुनवाई के लिए वर्तमान प्रकरण आज नियत किया गया। उपरोक्त कारणों से आवेदक अधिवक्ता आज सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते है।*

iii *आवेदक द्वारा प्रकरण में **दिनांक 04.11.2024** को नियत किए जाने का निवेदन किया गया।*

अनावेदक कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 22.10.2024 मेल द्वारा निम्नलिखित कथन किया कि:–

''उक्त प्रकरण की पूर्व सुनवाई दिनांक 23.09.2024 को अनावेदक कम्पनी की ओर से जबावदावा प्रस्तुत किया गया है एवं दिशा–निर्देशानुसार दिनांक 08.10.2024 को प्रकरणों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी एवं दस्तावेज प्रेषित किए जा चुके हैं। अनावेदक कम्पनी

की ओर से उक्त प्रकरणों के बारे में इसके अतिरिक्त कुछ भी कहा जाना शेष/बाकी नहीं है। वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा माह अक्टूबर 2024 की स्थिति में निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्युत बिलों का भुगतान कराए जाने एवं राजस्व वसूली का कार्य अनावेदक कम्पनी के द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उक्त स्थिति में अनुरोध है कि, प्रकरणों की सुनवाई दिनांक 24.10.2024 को अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जा सकती है।

अतः निवेदन है कि, अनावेदक की ओर से उक्त प्रकरणों में पूर्व में प्रेषित किए गए जबावदावा, दस्तावेजों एवं अतिरिक्त जानकारी के आधार पर आदेश पारित करने का कष्ट करें।"

अतः उभयपक्षों की अनुपस्थित के कारण प्रकरण पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी एवं प्रकरण में **अगली सुनवाई दिनांक 07.11.2024** को नियत की गई।

❖ **दिनांक 07.11.2024** आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री के0के0 जायसवाल, सहायक यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित।

सुनवाई के दौरान निम्न तथ्यों को पाया गया :–

01 अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा पूर्व सुनवाई दिनांक 23.09.2024 में मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की गई उसकी एक प्रति आवेदक को प्रेषित की गई ।

02 उपरोक्त प्रत्युत्तर एवं जानकारी पर आवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण स्वरूप उत्तर भी प्रस्तुत किया गया।

03 अनावेदक से पूछने पर उनके द्वारा यह कथन किया गया कि आवेदक के विद्युत संयोजन पर अंकेक्षण राशि की वसूली हेतु प्रथम नोटिस जारी करने के 6 माह पश्चात् तक संयोजन विच्छेदित नहीं किया गया ।

उभय पक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उभय पक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे और कोई कथन नहीं किया जाना है ना ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया।

07. आवेदक के अभ्यावेदन में फोरम के आदेश से असंतुष्ट/क्षुब्ध होने के निम्न आधार हैः–

i. *इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी बिंदूओं को नहीं समझकर गंभीर भूल की है।*

ii. *इन्दौर फोरम ने वर्तमान प्रकरण का सूक्ष्मतापूर्वक/गंभीरता पूर्वक अवलोकन नहीं करके भी गंभीर भूल की है।*

iii. *इन्दौर फोरम द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका क्र. 8.40 की मंशा को भी नहीं समझकर गंभीर भूल की हैं।*

iv. *इन्दौर फोरम के द्वारा विशेष रूप से इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया है कि अपीलार्थी/आवेदक के विद्युत कनेक्शन का मीटर खराब होने का कारण मानते हुए जब एक बार माह* ***नवम्बर, 2021 से माह मार्च 2022 तक की अवधि में 1904*** *की औसत बिलिंग की जा कर उक्त अवधि की बिल राशि अपीलार्थी से प्राप्त कर ली गई है, तो पुनः ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर माह मई, 2022 से माह जुलाई, 2022 में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर औसत डिफरेंस 2224 यूनिट की राशि की मांग अपीलार्थी से नहीं की जा सकती है।*

v. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जो माह अक्टूबर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक की अवधि की डिफरेंस 2224 यूनिट की राशि अपीलार्थी से मांग की जा रही है, उक्त अवधि कोविड–19 की माहमारी उत्पन्न होने अर्थात वर्ष 2020 से माह मार्च 2021 के पश्चात् की है, जब पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से खराब होने के कारण कोई भी रोजगार पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं हो पाया था, इसलिए उक्त अवधि में जारी किये गये 1904 औसत यूनिट के स्थान पर माह मई, 2022 से लगातार माह जुलाई, 2022 तक कि अवधि में दर्ज कुल खपत के आधार पर एवरेज 2224 यूनिट की खपत आंकने का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।*

vi. *पावरलूम रोजगार एक ऐसा रोजगार है, जो कभी एक समान नहीं चल पाता है, क्योंकि उक्त रोजगार मारवाड़ी/मास्टर विवर पर आश्रित रहता है, क्योंकि मास्टर विवर जब तक पावरलूम कनेक्शन धारी को कच्चा माल अर्थात भीम कोन नियमित रूप से प्रदान करता रहेगा तो उक्त रोजगार नियमित रूप से चलता रहेगा और जब पावरलूम कनेक्शन धारी को मास्टर विवर द्वारा कच्चा माल नियमित रूप से प्रदान नहीं करेगा तो पावरलूम कनेक्शन धारी का पावरलूम सूचारू रूप से नहीं चल पायेगा इस तथ्य पर भी इन्दौर फोरम द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।*

vii. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त मीटर को अपीलार्थी की उपस्थिति में जांच नहीं कराया हैं और न ही उक्त वादग्रस्त मीटर की जांच के संबंध में कोई सूचना अपीलार्थी को दी गई थी, जो कि विद्युत*

प्रदाय संहिता 2021 में उल्लेखित प्रावधान 8.16 एवं 8.17 का खुला उल्लघन इस तथ्य को भी इन्दौर फोरम द्वारा नहीं समझकर गंभीर भूल की गई है।

viii. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विवादित राशि रू. 29,959/– का तथाकथित पत्र क्रमांक 890 दिनाँक 21.11.2023 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 एवं विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधान 8.40 की मंशा के विपरित जारी किया गया क्योंकि उक्त धारा एवं प्रावधान में स्पष्ट रूप से 15 दिवस का समय दिये जाने का उल्लेख है, इस तथ्य की भी इन्दौर फोरम द्वारा अनदेखी की गई है।*

ix. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विवादित राशि किस प्रावधान के तहत पुनः मांग की जा रही है, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए भी विवादित राशि बिना विधि एवं प्रावधान के अपीलार्थी से प्राप्त नहीं की जा सकती है, इस तथ्य को भी इन्दौर फोरम ने नहीं समझकर गंभीर भूल की है।*

x. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विधि एवं नियम के विपरीत विवादित राशि अपीलार्थी के माह दिसम्बर, 2023 के नियमित बिल में जोड़ कर भेजे जाने के कारण बेमकसद प्रति माह उक्त राशि को बकाया होना दर्शाया जाकर अधिभार एवं सरचार्ज की राशि का भार अपीलार्थी पर पड़ रहा है, इस तथ्य को भी इन्दौर फोरम द्वारा नहीं समझकर गंभीर भूल की गई है।*

xi. *अपीलार्थी अन्य कानूनी बिंदु एवं तथ्य अपने अंतिम तर्क के समय प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है।*

xii. *वर्तमान अपील समय अवधि में प्रस्तुत की जा रही है, तथा विवादित राशि की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा कर भुगतान किये गये विद्युत बिल की प्रति अवलोकनार्थ वर्तमान अपील के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है।*

08. सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक द्वारा कथनों का सारांश निम्नानुसार है :–

अनावेदक के कथन :–

(क) दिनाँक 23.09..2024 को अनावेदक ने अपने लिखित प्रतिउत्तर में निम्न कथन करते हुए अभ्यावेदन में अपील के आधार पर कण्डिका वार उत्तर प्रस्तुत किया :–

i. *अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के समक्ष विद्युत कनेक्शन क्रं. **77–06–3957021857** के माह दिसम्बर, 2023 के सीसीबी. एडजेस्टमेंट के*

*कालम में अनुचित एवं अवैधानिक रूप से जोड़ी गई राशि रू. **11,651/–** को अधिभार एवं सरचार्ज सहित हटाये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। इन्दौर फोरम के समक्ष प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रं. 5651/2024 के रूप पंजीबद्ध किया गया।*

ii. *फोरम, इंदौर के द्वारा उक्त प्रकरण क्रं. 5651/2024 की पूर्ण सुनवाई करने के उपरांत दिनाँक 18.04.2024 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के परिवाद को स्वीकार किया गया हैं एवं संशोधित देयक जारी किये जाने हेतु आदेशित किया गया हैं। फोरम के पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 की छायाप्रति संलग्न हैं।*

अपील के आधार पर कंडिका वार प्रतिउत्तर–अनावेदक कम्पनी की ओर से

iii *अपीलार्थी श्री मों. सलीम मों. युसूफ अंसारी, खसरा नं. 139/18, हमीदपुरा, बुरहानपुर, सर्विस क्रं. 77–06–एन3957020133 के नाम पर औद्योगिक श्रेणी (पावरलूम), 09 एचपी, थ्री फेस का विद्युत संयोग उपयोग/उपभोग हेतु आवंटित हैं।*

अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 01 से लगातार कंडिका क्रं. 03 तक अस्वीकार हैं।

iv. *उक्त कंडिकाओं के माध्यम से फोरम को यह आरोपित करना गलत हैं कि कानूनी बिन्दुओ को नहीं समझकर गंभीर भूल की हैं, अपितु फोरम के द्वारा विधिक प्रावधानों एवं म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 निहित प्रावधानों का अवलोकन करने के उपरांत ही आदेश प्रदान किया गया हैं।*

अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 04 अस्वीकार हैं।

v. *अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोजन पर माह अक्टूबर, 2021 में '0' यूनिट एवं माह नवम्बर, 2021 से लगातार माह मार्च, 2022 के दौरान मासिक औसत खपत 1904 के आधार पर विद्युत देयक जारी किये गये थे, किन्तु अंकेक्षण दल के द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि, मीटर खराब होने के कारण उक्त समयावधि, माह अक्टूबर, 2021 से माह मार्च 2022 तक कम औसत खपत के विद्युत देयक जारी किये गये हैं, जिससे माह जून, 2021 से लगातार अगस्त, 2021 औसत खपत (3062 यूनिट) को आधार मानते हुए वर्ष 2021–2022 (द्वितीय अधिवार्षिकी) माह अक्टूबर, 2021 से लगातार माह मार्च, 2022 तक की (less billing due to stop/defective meters & average billing) की अंकेक्षण राशि रू. 29,959/– निकाली गई हैं। अवलोकन हेतु अंकेक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न हैं।*

अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 05 अस्वीकार हैं।

vi. *फोरम, इंदौर के द्वारा उक्त प्रकरण में प्रेषित साक्ष्य दस्तावेजों एवं जानकारी के आधार पर सुनवाई के उपरांत माह अक्टूबर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक के विद्युत देयकों को म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका क्रं. 8.44 के अनुसार नये मीटर में तीन माह (माह मई, 2022 से लगातार माह जुलाई, 2022 तक) औसत मीटर खपत 2224 यूनिट के अनुसार संशोधित देयक जारी किये जाने हेतु आदेशित किया गया हैं। जो कि नियमानुसार सही हैं।*

अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 06 अस्वीकार हैं।

vii. *अपीलार्थी ने ऐसा कोई वैधानिक साक्ष्य एवं दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, जिससे विधिक रूप से प्रमाणित हो सके की अपीलार्थी के उक्त पावरलूम कनेक्शन का उपयोग/ उपभोग सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा हैं। उक्त कंडिका के कथन बनावटी एवं मनगढ़त हैं, जिस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।*

अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 07 अस्वीकार हैं।

viii. *उपभोक्ता के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थित पुराना मीटर दिनांक 05.05.2022 को उपभोक्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में जांच हेतु निकाला गया हैं। निकाले गये मीटर डिस्पोजल प्रति में उल्लेख किया गया हैं कि, नो डिस्प्ले/मीटर जांच हेतु निकाला गया हैं, मीटर डिस्पोजल प्रति में उपभोक्ता/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किये हुए हैं। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका क्रं. 8.16 के तहत दोषपूर्ण मीटर का परीक्षण प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा समय–समय पर किया जाता हैं। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 कंडिका 8.17 के तहत उपभोक्ता के आवेदन पत्र के आधार पर मीटर की जांच की जाती हैं। म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका क्रं. 8.16 के तहत मीटर की प्रयोगशाला में जांच करायी गई हैं। अवलोकन हेतु मीटर डिस्पोजल स्लिप की छायाप्रति एवं मीटर जांच रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न हैं।*

अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 08 अस्वीकार हैं।

ix. *अपीलार्थी की उक्त विद्युत संयोग में निकाली गई ऑडिट राशि रू. 29,959/– का सूचना पत्र जारी दिनांक 21.11.2023 के 15 दिवस के पश्चात भी अपीलार्थी के द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया, जिससे आगामी माह दिसम्बर, 2023 के विद्युत देयक में सीसीबी.*

एडजेस्मेंट के माध्यम से ऑडिट राशि रू. 29,959/– जोड़ी गयी है। अवलोकन हेतु उपभोक्ता रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न हैं।

अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 09 अस्वीकार हैं।

x. *अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी संबंधित कार्यालय के माध्यम से दे दी गई है, इसके अतिरिक्त फोरम, इंदौर के समक्ष प्रकरण की सुनवाई में प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी प्रति अपीलार्थी अधिवक्ता को प्रदान की गई हैं।*

अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 10 अस्वीकार हैं।

xi. *प्रतिउत्तर कंडिका क्रं. 03 एवं 04 के माध्यम से बिल में जोड़ी गई ऑडिट राशि का विस्तृत लेख किया गया है।*

xii. ***अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 11 के प्रतिउत्तर की आवश्यकता नहीं हैं।***

अपीलार्थी की कंडिका क्रं. 12 अस्वीकार हैं।

xiii. *अपीलार्थी के द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय निकाली गई ऑडिट राशि रू. 29,959 का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा माह जुलाई, 2024 की स्थिति में जारी विद्युत देयक राशि (सरचार्ज सहित) रू. 53295/– में से किस्त स्वरूप राशि रू. 10,500/– का ही भुगतान किया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा नियमित रूप से विद्युत देयको का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं, जिससे वर्तमान माह सितम्बर, 2024 की स्थिति में विद्युत बिल में बकाया राशि रू. 72,496/– दर्शित हो रही हैं। अवलोकन हेतु माह सितम्बर, 2024 के विद्युत देयक छायाप्रति संलग्न हैं।*

xiv. *फोरम, इंदौर द्वारा प्रकरण का पूर्ण अवलोकन, उभय–पक्षों के रखे गये तर्क कथन एवं पूर्ण सुनवाई के उपरांत ही आदेश पारित किया गया है, जो कि अपीलार्थी को स्वीकार करना चाहिए। अतः विद्युत लोकपाल से विनम्र निवेदन हैं कि, प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर उक्त अपील को सव्यय निरस्त कर आदेश पारित करने का कष्ट करेगें।*

09. **विगत सुनवाई दिनाँक 23.09.2024 को** अनावेदक से प्रकरण से संबंधित चाही गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एवं दस्तावेज अनावेदक द्वारा निम्नानुसार प्रदान की गई : –

(क) **अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज :–**

01. ***माह जनवरी, 2021 से माह अगस्त, 2024 तक मीटर में दर्ज खपत का विवरण :–***

अपीलकर्ता श्री मो. सलीम मों. युसूफ, विद्युत संयोग सर्विस क्रं. 77–06–3957020133 के माह जनवरी, 2021 से माह अगस्त, 2024 तक मीटर में दर्ज खपत, आंकलित खपत, अंकेक्षण के आधार पर औसत खपत एवं फोरम, इन्दौर के आदेशानुसार औसत आदि विवरण संलग्न है।

02. ***आवेदक उपभोक्ता के समकक्ष औद्योगिक पावरलूम 09 एच.पी. के कम से कम दो अन्य उपभोक्ताओं के माह जनवरी 2021 से माह अगस्त 2024 तक का विद्युत खपत का विवरणः–***

आवेदक उपभोक्ता के समकक्ष औद्योगिक पावरलूम विद्युत सर्विस क्रं. 77–07–3957006324 एवं सर्विस क्रं. 77–07–3957023844 के माह जनवरी, 2021 से माह अगस्त, 2024 के विद्युत खपत का विवरण संलग्न हैं।

03. ***उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार मीटर किस माह से खराब पाया गया ?***

रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर अपीलकर्ता के विद्युत संयोग सर्विस 77–06–3957020133 में माह अगस्त, 2021 में खराब हो गया था, जिससे माह अगस्त, 2021 में मीटर खपत 10 यूनिट दर्ज की गई हैं, जबकि माह अगस्त, 2021 के पूर्व माह मई, 2021 से लगातार जुलाई, 2021 में मीटर खपत क्रमशः 4173, 5002 एवं 5711 दर्ज की गई हैं।

04. ***ऑडिट द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित पैरा रिपोर्ट की प्रति –***

प्रकरण के संबंध में ऑडिट पैरा की लिखित रिपोर्ट संलग्न हैं।

05. ***विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट सयम–सीमा के अनुसार मीटर क्यों नहीं बदला गया, स्पष्ट करें ?***

प्रतिअपीलार्थी कम्पनी के द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अंदर खराब/बन्द मीटर बदलने का पूर्णतः प्रयास किया जाता है। अपीलकर्ता के विद्युत संयोग का मीटर माह अगस्त, 2021 खराब हुआ है, उस समयावधि में 3–फेस मीटर की कमी होने

के कारण समय–सीमा में बदला नहीं जा सका हैं। माह मई, 2022 में मीटर की उपलब्धता होने पर खराब मीटर को बदलकर दूसरा मीटर स्थापित किया गया हैं।

(ख) आवेदक ने अपने लिखित प्रतिउत्तर दिनाँक 18.10.2024 द्वारा निम्नलिखित कथन कियाः–

1. *अपीलार्थी के द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन क्रं. 77–06–3957020133 के माह दिसम्बर 2023 के नियमित बिल में अनुचित एवं अवैधानिक रूप से जोड़ी गई रू. 29,959/– को निरस्त कराये जाने संबंधी वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, किन्तु त्रुटिवश उक्त राशि के स्थान पर अपीलार्थी के भाई मोहम्मद कलीम पिता मोहम्मद युसुफ के विद्युत कनेक्शन क्रं. क्रं. 77–06–3957021857 की तथा कथित अंकेक्षण दल द्वारा निकाली गई डिफरेंस राशि रू. 11,651/– का उल्लेख किया गया है, जो उपरोक्त आधारों पर क्षमा किये जाने योग्य होकर दुरूस्त किये जाने योग्य है।*
2. *प्रतिअपलार्थी के द्वारा माननीय आयोग के समक्ष दिनाँक 23.09.2024 को कंडिकावार जवाब एवं सात दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं दिनाँक 08.10.2024 को अतिरिक्त जवाब और उसके साथ प्रदर्शित तीन दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, विद्युत लोकपाल उपरोक्त दोनों जवाब का गंभीरता एवं सुक्ष्मता पूर्वक अवलोकन करने पर यह पायेगे कि प्रतिअपीलार्थी ने उपरोक्त दोनों जवाब में कही भी इस बात का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अंकेक्षण दल द्वारा तथा कथित राशि रू. 29,959/– किस प्रावधान अनुसार निकाला गया है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।*
3. *अपीलार्थी का विद्युत लोकपाल से इस संबंध में यह निवेदन है कि विद्युत अधिनियम 2003 और विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में दर्शाये प्रावधानों के अनुरूप ही समस्त कार्यवाही किये जाने का प्रतिअपीलार्थी एवं उनके संबंधित अधिकारियो को अधिकृत किया गया है किन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी के अंकेक्षण दल द्वारा जो विवादित राशि रू. 29,959/– डिफरेंस राशि के रूप में अपीलार्थी से मांग की जा रही है, उक्त राशि किस नियम और प्रावधान अनुसार निकाली गई है, उसका कोई उल्लेख अंकेक्षण दल ने भी अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है।*
4. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 और विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के प्रावधान 8.40 के विपरीत तथा कथित पत्र क्रंमाक 890 दिनाँक 21.11.2023 जारी किया गया है क्योंकि उक्त प्रावधान के मुताबिक किसी भी प्रकार की राशि की मांग किये जाने संबंधि सूचना पत्र 15 दिवस की अवधि का जारी किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि*

प्रतिअपीलार्थी ने तथा कथित पत्र में 07 दिवस का उल्लेख कर अपीलार्थी की ओर जारी किया गया है।

5. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा विधि एवं नियम के विपरीत विवादित राशि अपीलार्थी को माह दिसम्बर, 2023 के मासिक देयक में अनुचित एवं अवैधानिक रूप से जोड़ दिये जाने के कारण उक्त अवधि से आज दिनाँक तक अपीलार्थी की ओर जारी मासिक विद्युत देयक पिछला बकाया के रूप में दर्शित होने के कारण विद्युत देयक जारी किया जा रहा है, जिसमें Previous Month Delayed Payment Surcharges रू. 709/– एवं Due Date Late Payment Surcharge रू. 885/– वास्ते प्रमाण प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रं. आर–7 देखें।*

उपरोक्त आधार पर माह दिसम्बर, 2023 से आज दिनाँक तक के समस्त मासिक विद्युत देयक के उपरोक्त मदद में जोड़ी गई समस्त राशि निरस्त किये जाने योग्य है।

6. *प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिनाँक 08.10.2024 को जो अतिरिक्त जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जाकर प्रादर्श दस्तावेज क्र.1 जिस में वर्ष 2021 से लगातार माह अगस्त, 2024 की अवधि की विद्युत खपत, अतिरिक्त औसत खपत एवं वार्षिक विद्युत खपत के आधार पर औसत मासिक विद्युत खपत का उल्लेख किया गया है, इस संबंध में अपीलार्थी विद्युत लोकपाल का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हैः–*

वर्ष 2021 में चार्ट में माह मई, एवं जून, 2021 की अवधि में जो 4,173, 5002 विद्युत खपत दर्शाई गई है, वह वास्ताविक एवं सही न होकर उक्त 02 माह की विद्युत खपत न होकर माह मई 2021 से अक्टूबर, 2021 तक कुल 06 माह की है, इस बात की पुष्टी के लिए प्रतिअपीलार्थी से उक्त अवधि के मीटर रिडींग फुटैज बुलाई जाकर की जा सकती है।

मई, 2021 एवं जून, 2021 में तथा कथित 5002 युनिट एवं 4173 युनिट की खपत का उल्लेख किया गया है, वह भी गलत है, क्योंकि उक्त दोनों विद्युत खपत 02 माह की न होकर माह मई, 2021 से माह अक्टूबर, 2021 तक कुल 06 माह की अवधि की है जिसके आधार पर 1529 एवरेज युनिट बनता है, जबकि प्रतिअपीलार्थी ने माह नवम्बर, एवं दिसम्बर, 2021 की एवरेज 1940 एवं 1904 एवरेज युनिट को जोड़कर कथित रूप से 3808 दर्शाया है, वह सरासर गलत है इसी प्रकार प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन की वर्ष 2022 की कुल खपत 13570 कुल 08 माह की विद्युत खपत दर्शाई है, जिसका ऐवरेज 1696 युनिट बनता है एवं माह जनवरी, से माह मार्च, 2022 की अवधि की एवरेज

1904, 1904, 1904 युनिट जोड़कर 5712 एवरेज युनिट दर्शाया है, जो कि गलत है, जबकि वास्तविक खपत के आधार पर 1696 एवरेज युनिट बनता है।

उपरोक्त आधारो पर वर्ष 2021 की कुल खपत का मासिक एवरेज युनिट 1529 तथा वर्ष 2022 की कुल विद्युत खपत का मासिक एवरेज युनिट 1607, वर्ष 2023 की कुल खपत का एवरेज युनिट 2462 तथा वर्ष 2024 की कुल 08 माह की खपत का एवरेज युनिट 2338 होता है, जिसे जोड़ने पर 1529+ 1607 + 2462 + 2338 =7936 ÷ 4=1984 एवरेज युनिट बनता है, और इसी आधार पर प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी की ओर माह नवम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक की अवधि में जो 1904 एवरेज युनिट के बिल जारी किया जाकर बिल राशि प्राप्त कर ली गई है , इसलिए पुनः तथा कथित अंकेक्षण दल की रिपोर्ट का आधार दर्शाकर विवादित राशि रू. 29,959/– निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः विद्युत लोकपाल से निवेदन है कि उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर प्रतिअपीलार्थी द्वारा माह दिसम्बर, 2023 के विद्युत बिल में जोड़ी गई विवादित राशि रू. 29,959/– अधिभार एवं सरचार्ज सहित निरस्त किये जाने संबंधी आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थी की वर्तमान अपील खर्च रू. 5,000/– भी दिलाये जाने की आदेश प्रदान करने की कृपा की जावें।

10. अभ्यावेदन एवं सुनवाई के दौरान इस प्रकरण में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए :–

- विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र में प्रकरण क्रमांक W0565124 में आदेश दिनाँक 18.04.2024 की प्रति।
- आवेदक का विद्युत देयक माह दिसम्बर, 2023 एवं सितम्बर, 2024, मीटर रिपलेस्मेंट एण्ड पी.डी. फार्म, मीटर परीक्षण रिपोर्ट, चार्टेड अकाउटेंड M/s V.K. Dafria & Company के Audit report की प्रति, आवेदक द्वारा माह जनवरी, 2021 से अगस्त, 2024 तक की माहवारी विद्युत खपत एवं कम्प्यूटराईस्ट बिलिंग हिस्ट्री, आवेदक के समकक्ष विद्युत खपत वाले दो अन्य पावरलूम उपभोक्ताओं की भी माह जनवरी, 2021 से अगस्त, 2021 तक की मासिक खपत एवं कम्पयूटराईज बिलिंग हिस्ट्री।

11. आवेदक के अभ्यावेदन में प्रस्तुत विषय वस्तु एवं प्रकरण में सुनवाई के दौरान उभयपक्षों के कथनानुसार प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार हैः–

(i) आवेदक श्री मोहम्मद सलीम का 09 हार्स पावर (HP) स्वीकृत भार का पावरलूम हेतु LV-4.1a टैरिफ श्रेणी में विद्युत संयोजन है। आवेदक/उपभोक्ता का विद्युत मीटर माह अक्टूबर, 2021 से मई, 2021

तक खराब रहा है एवं उपभोक्ता का खराब मीटर अनावेदक के पास विद्युत मीटर अनुपलब्ध होने के कारण लगभग 8 माह पश्चात् 5 मई, 2022 को बदलकर खराब मीटर को परीक्षण हेतु भेजा गया। अनावेदक द्वारा खराब मीटर की जांच 20 मई 2022 को करवाई गई जिस में मीटर का जला होना एवं डिस्पले खराब पाया गया।

(ii) उपरोक्त स्थिति में मीटर के खराब होने के कारण अनावेदक द्वारा माह नवम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक 1904 युनिट प्रति माह की आंकलित खपत के आधार पर आवेदक को विद्युत देयक दिया गया। अनावेदक द्वारा उक्त आंकलित खपत 1904 युनिट प्रति माह का कोई भी आधार न तो फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया ओर न ही इस प्रकरण की सुनवाई में प्रस्तुत किया गया।

(iii) तत्पश्चात् आवेदक/उपभोक्ता के विद्युत संयोजन पर अंकेक्षण दल (Audit party) द्वारा वर्ष 2021–2022 (द्वितीय अर्धवार्षिक) माह अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान अनावेदक द्वारा की गई उपरोक्त आंकलित विद्युत खपत को उचित नहीं पाये जाने के कारण 3062 युनिट प्रति माह की आंकलित खपत पुराने खराब मीटर में माह मई, 2021, जून, 2021 एवं अगस्त, 2021 में रिकार्ड की गई वास्तविक खपत के औसत आधार पर निकाली गई।

(iv) अंकेक्षण दल के उपरोक्त आंकलित विद्युत खपत के आधार पर अनावेदक ने पत्र क्रमांक 890 दिनाँक 21.11.2023 द्वारा आवेदक को अतिरिक्त राशि रू. 29,959/– के भुगतान हेतु लिखा गया। आवेदक द्वारा समय सीमा के पश्चात् भी रू. 29,959/– का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अनावेदक द्वारा उक्त राशि को आवेदक के दिसम्बर, 2023 के विद्युत देयक में भुगतान हेतु जोड़ दिया गया ।

(v) उपरोक्त अंकेक्षण राशि रू. 29,959/– से असंतुष्ट/क्षुब्ध होने के कारण उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के समक्ष अपनी शिकायत के निवारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को फोरम द्वारा प्रकरण क्रमांक W0565124 पर दर्ज कर एवं उभय पक्षों को सुनकर अपना आदेश दिनाँक 18.04.2024 को पारित करते हुए अंकेक्षण दल द्वारा दोषपूर्ण मीटर के आधार पर निर्धारित की गई आंकलित खपत 3062 यूनिट की गणना को अस्वीकार करते हुए नया मीटर बदलने के पश्चात् तीन माह (मई, 2022 से जुलाई, 2022) की वास्तविक खपत के औसत के आधार पर 2224 यूनिट की अंकिलत खपत अनुसार संशोधित विद्युत देयक अनावेदक को जारी करने हेतु आदेश दिया गया।

(vi) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध एवं असंतुष्ट होने के कारण उपभोक्ता द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष वर्तमान अभ्यावेदन प्रस्तुत किया

गया। सुनवाई के दौरान अभ्यावेदन में प्रस्तुत विषय वस्तु के सूक्ष्म परीक्षण करने हेतु अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी से निम्न जानकारी मंगाई गई।

- जनवरी 2020 से अगस्त 2024 तक मीटर में दर्ज खपत का विवरण आंकलित खपत के आधार के साथ ।
- आवेदक उपभोक्ता के समकक्ष अन्य पावर लूम, 9 एच.पी. के कम से कम दो अन्य उपभोक्ताओं का भी जनवरी, 2020 से अगस्त, 2024 तक का विद्युत खपत का विवरण।
- उपलब्ध रिकार्ड अनुसार मीटर किस माह से खराब पाया गया ?
- अंकेक्षण दल द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित पैरा रिपोर्ट की प्रति।
- विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अनुसार मीटर क्यों नहीं बदला गया ?

(vii) उपरोक्त बिंदुओं पर अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिया गया उत्तर अन्य जानकारी के साथ दिनाँक 08.10.2024 को प्रस्तुत किया गया। आवेदक ने भी अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त उत्तर एवं जानकारी पर अपना स्पष्टीकरण उत्तर दिनाँक 18.10.2024 को प्रस्तुत किया। अनावेदक एवं आवेदक द्वारा लिखित उपरोक्त कथनों को इस आदेश के पूर्व पैरा क्रमांक 09 में रिकार्ड किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर दी गई जानकारी निम्नानुसार हैः–

- अनावेदक ने यह स्पष्ट किया कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन में स्थापित मीटर माह अगस्त, 2021 से खराब हो गया था, जिस माह में कुल 10 यूनिट ही खपत दर्ज की गई जबकि पूर्व माहों मई, 2021 में 4173 यूनिट, जून, 2021 में 5002 और जुलाई, 2021 में 5711 यूनिट रही है। अनावेदक द्वारा यह कथन किया गया कि विद्युत मीटर उपलब्ध नहीं होने के कारण माह अगस्त, 2021 से 4 मई, 2022 तक **"मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021"** के प्रावधान में विनिर्दिष्ट समय सीमा में उपभोक्ता का खराब मीटर नहीं बदला जा सका।
- अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी ने ऑडिट रिपोर्ट द्वारा इस प्रकरण के संबंध में की गई आंकलित खपत से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जिससे यह ज्ञात होता है कि अंकेक्षण दल द्वारा जून, 2021, जुलाई 2021 एवं अगस्त 2021 की वास्तविक विद्युत खपत 4173, 5002, एवं 10 यूनिट क्रमशः के आधार पर मासिक आंकलित खपत 3062 यूनिट का निर्धारण किया गया। जबकि अनावेदक द्वारा प्रादर्श–01 में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक द्वारा माह जून, 2021, जुलाई, 2021 एवं अगस्त, 2021 में विद्युत खपत 5002 यूनिट, 5711 यूनिट एवं 10 यूनिट पाई गई है जोकि अंकेक्षण दल द्वारा जून 2021 की

विद्युत खपत से भिन्न है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कम्पयुटराईज बिलों की हिस्ट्री के परीक्षण से भी यह पाया गया कि अंकेक्षण दल द्वारा जून 2021 की विद्युत खपत 5002 के स्थान पर मई 2021 की विद्युत खपत 4173 त्रुटिवश ली गई। यदि इस प्रकरण में जुलाई 2021 की वास्तविक खपत 4173 के स्थान पर सही खपत 5002 अंकेक्षण दल द्वारा ली जाती तो मासिक आंकलित खपत 3062 के स्थान पर 3574 यूनिट होती।

- उपरोक्त अनुसार अंकेक्षण दल द्वारा औसत आंकलित खपत का निर्धारण सही नहीं पाया गया।
- अतः फोरम के आदेश में अंकेक्षण दल द्वारा आकंलित खपत की गणना को अस्वीकार करना उचित पाया जाता है।

12. प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख/ दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभयपक्षों (आवेदक/अनावेदक) द्वारा कथनों के परीक्षण उपरांत निष्कर्ष एवं निर्णय निम्नानुसार है :–

i. आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में यह तर्क दिया है कि माह अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि में फोरम द्वारा निर्धारित 2224 आंकलित यूनिट प्रति माह की अन्तर राशि इसलिए अनुचित है क्योंकि उक्त अवधि कोविड 2019 की माहमारी के उत्पन्न होने एवं वर्ष 2020 से मार्च 2021 के पश्चात् की है जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण कोई भी रोजगार पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं हो पाया था।

ii. आवेदक ने दूसरा तर्क यह भी दिया है कि पावरलूम ऐसा रोजगार है जोकि मारवाड़ी/मास्टर विवर द्वारा कच्चा माल अर्थात् भीमकोन नियमित रूप से प्रदान करने पर ही सुचारू रूप से चलता है ।

iii. आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अनावेदक द्वारा विवादित राशि रू. 29,959/– दिनांक 21.11.2023 के पत्र द्वारा 7 दिवस में भुगतान करने हेतु मांगी गई जोकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 एवं **"मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021" की कण्डिका 8.40** की मंशा के विपरीत है ।

iv. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों के दृष्टिगत सुनवाई के दौरान अनावेदक से **माह जनवरी, 2021** से माह से **अगस्त, 2024** के दौरान आवेदक के मीटर में दर्ज माहवारी विद्युत खपत के साथ–साथ आवेदक के समकक्ष दो अन्य 9 एच.पी. स्वीकृत भार के पावर लूम उपभोक्ताओं द्वारा समान अवधि में की गई विद्युत खपत की जानकारी भी मांगी गई ।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त जानकारी से माहवार विद्युत खपत की स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट होती है :–

तालिका क्रमांकः–01

क्रमांक	**माह**	आवेदक द्वारा विद्युत खपत (युनिट)	अन्य उपभोक्ता मो. असलम बुरहानपुर विद्युत भार 09HP सर्विस क्रमांक 77–06–3957006324 द्वारा विद्युत खपत (युनिट)	अन्य पावरलूम उपभोक्ता श्री अब्दुल बुरहानपुर विद्युत भार 09HP सर्विस क्रमांक 77–06–3957023844 द्वारा विद्युत खपत (युनिट)
01	जुलाई 2021	5711	2487	2418
02	अगस्त 2021	10	2092	2081
03	सितम्बर 2021	72	1440	2296
04	अक्टूबर 2021	–	2092	2739
05	नवम्बर 2021	–	3475	2209
06	दिसंबर 2021	–	3568	2495
वर्ष 2022 की विद्युत आंकलित खपत				
07	जनवरी 2022	–	3371	2641
08	फरवरी 2022	–	3564	2674
09	मार्च 2022	–	3342	2004
10	अप्रैल 2022	–	3981	2181
11	मई 2022	2638	2887	1728
12	जून 2022	2765	4055	2273
13	जुलाई 2022	1268	2631	2011

v. उपरोक्त तालिका क्रमांक 01 अनुसार आवेदक एवं उसके समकक्ष समान विद्युत भार का उपभोग करने वाले दो अन्य पावरलूम उपभोक्ताओं द्वारा की गई विद्युत खपत से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक का मीटर माह अगस्त, 2021 से अप्रैल, 2022 तक खराब रहा, जिसके कारण कोई भी

खपत मीटर में दर्ज नहीं हुई। इसके पश्चात् आवेदक द्वारा माह मई, 2022, जून, 2022 एवं जुलाई, 2022 में 2638 एवं 2765 एवं 1268 यूनिट क्रमशः का उपयोग किया गया। यहां यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अन्य दोनों उपभोक्ताओं द्वारा **अगस्त, 2021 से जुलाई, 2022** तक औसत 3102 युनिट एवं 2280 युनिट की विद्युत खपत की गई एवं अन्य दोनों उपभोक्ताओं द्वारा उक्त अवधि में प्रत्येक माह में विद्युत की खपत लगातार रही है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क की फोरम द्वारा जिन माहों के औसत के आधार पर आंकलित खपत निर्धारित की गई है उस अवधि में रोजगार पूर्ण रूप से बंद था एवं प्रारंभ नहीं हो पाया था या कच्चा माल पावरलूम में उपलब्ध नहीं होने के कारण पावर लूम क्रियाशील नहीं था, स्वीकार योग्य नहीं है।

vi. आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 एवं **"मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021" की कण्डिका 8.40** के संदर्भ में प्रस्तुत तर्क भी इस प्रकरण में निम्न कारणो से स्वीकार योग्य नहीं हैः–

- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 में विद्युत के लिये किसी चार्ज के भुगतान नहीं किए जाने पर विद्युत संयोजन को विच्छेदित करने के पूर्व 15 दिवस के लिखित नोटिस देने का प्रावधान है, परन्तु इस प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों एवं कथनों के अनुसार अनावेदक द्वारा लिखित नोटिस देने से लगभग छः (6) माह तक आवेदक का विद्युत संयोजन विच्छेदित नहीं किया गया। अतः अंकेक्षण राशि के भुगतान हेतु लिखित नोटिस में समय–सीमा के संबंध में आवेदक का तर्क इस प्रकरण में अप्रासंगिक है।

- **"मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021" की कण्डिका 8.40** में निम्नलिखित प्रावधान हैः–

  कण्डिका 8.40

  "अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (अंकेक्षण) अथवा सतर्कता (विजिलेंस) सम्बन्धी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे, जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी दयकों में निरंतर जोड़ा जाएगा, जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।"

वर्तमान प्रकरण में अनावेदक द्वारा अंकेक्षण राशि के भुगतान हेतु दिनांक 21.11.2023 को लिखित नोटिस देने के पश्चात् भी आवेदक द्वारा उक्त राशि के भुगतान नहीं किए जाने पर उक्त राशि को

माह दिसम्बर 2023 के विद्युत देयक, जोकि 17 दिसम्बर, 2023 को जारी हुआ, में जोड़ दिया गया। परन्तु आवेदक/उपभोक्ता द्वारा अंकेक्षण राशि का न तो 15 दिवस में भुगतान किया गया और न ही उक्त राशि के भुगतान नहीं होने पर आवेदक का विद्युत संयोजन विच्छेदित किया गया।

उपरोक्त अनुसार अनावेदक द्वारा "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कण्डिका 8.40 का पालन नहीं किये जाने से संबंधित आवेदक का तर्क भी इस प्रकरण में स्वीकार योग्य नहीं है।

vii. विद्युत मीटर के खराब/दोषपूर्ण होने की दशा में प्रदाय की गई विद्युत मात्रा के निर्धारण हेतु **"मध्यप्रदशे विद्युत प्रदाय संहिता 2021" की कण्डिका 8.44 (ख)** में निम्न प्रावधान हैः–

''जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत् नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा :–

(क) *"यदि प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (रीडिंग) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।*

(ख) ऐसे प्रकरण में, जहां मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण हो तथा प्रति–परीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो या दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर दोषपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन –चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं, जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे, जिनका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा। "

viii. उपरोक्तानुसार इस प्रकरण में खराब विद्युत मीटर के पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों में विद्युत खपत की स्थिति को देखते हुए उक्त अवधि के औसत विद्युत खपत के आधार पर आंकलित खपत की

गणना करना न्यायसंगत नहीं होता। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त कण्डिका 8.44 (ख) में प्रावधान अनुसार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा पारित आदेश में विद्युत मीटर बदलने के पश्चात् माह मई 2022, जून 2022 एवं जुलाई 2022 की औसत खपत के आधार पर आंकलित यूनिट का निर्धारण उचित पाया जाता है।

उपरोक्त निष्कर्ष के साथ फोरम का आदेश यथावत् रखा जाता है एवं फोरम के आदेशानुसार अनावेदक इस आदेश की तिथि से 45 दिवस के भीतर आवेदक को संशोधित विद्युत देयक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

ix. उपरोक्त निर्णय के साथ अनावेदक को यह निर्देशित किया जाता है कि वह विद्युत मापयंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि खराब/जले मापयंत्रों का "मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021" की कण्डिका 8.26 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा में प्रतिस्थापन किया जावे। अनावेदक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दोषपूर्ण मापयन्त्रो के परीक्षण से संबंधित समस्त प्रकरणों में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 की कण्डिका 8.16 से 8.18 में प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।

13. उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है। उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

14. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल